आरटीआई मानला

फ. सं 9 - 09/2016 - आर टी आई

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग, (सूचना का अधिकार अनुभाग)

संचार भवन – 20 अशोका रोड, नई दिल्ली – 110 001.

दिनाँक: 30.09.2016.

कार्यालया ज्ञापन

विषय :-सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 के तहत डॉ. संजय कुमार शूकला के दिनाँक 08.09.2016 के आवेदन (इस कार्यालय को दिनाँक 28.09.2016 को प्राप्त) को अग्रेषित करना ।

*******

अधोहस्ताक्षरी इसके साथ उपर्युक्त उल्लिखित आवेदन को सूचना एवं आवश्यक कारवाई करने हेतु अग्रेषित करने का निदेश हुआ है ।

2. यह अनुरोध है कि मांगी गई सूचना आवेदक को सीधे ही प्रदान की जाए । यदि मांगी गई सूचना या सूचना का कोई अंश किसी अन्य सी पी आई ओ / लोक प्राधिकरण से संबन्धित है तो आर. टी. आई आवेदन को संबन्धित सी पी आई ओ / लोक प्राधिकरण को सूचना प्रदान करने के लिए भेज दिया जाए ।

3. आवेदक द्वारा आरटीआई आवेदन-शुल्क का भुगतान हो चुका है ।

भवदीय,

(रंजन कुमार)

उप सचिव (समन्वय) एवं नोडल अधिकारी (आर टी आई)

दूरभाष - 23036225

संलग्नक: यथोपरी ।

सेवा मे ,

1. सभी सीपीआईओ, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001 ।
2. श्री बृजेश त्यागी, उप महाप्रबंधक (एमआईएस) एवं नोडल अधिकारी (आरटीआई), भारत संचार निगम लिमिटेड, (भारत सरकार का उपक्रम), निगम कार्यालय, कमरा संख्या-29, आई. आर. हाल, ईस्टर्न कोर्ट, जनपथ, नई दिल्ली -110001 ।
3. श्री वी. पी. सिंह, उप महाप्रबंधक (एनबी) एवं सीपीआईओ, एमटीएनएल, निगम कार्यालय, 5509, पाँचवाँ तल, एमडीएस सदन, 9, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

डॉ. संजय कुमार शुक्ला, प्रबंध संपादक, 180, ए. बी., पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना - 13, बिहार - को इस अनुरोध के साथ कि वे भविष्य में उपरोक्त उल्लिखित सीपीआईओ, जो कि दूरसंचार विभाग/ बीएसएनएल / एमटीएनएल में संबन्धित अधिकारी हैं, के साथ ही पत्र व्यवहार करें ! बीएसएनएल/एमटीएनएल अलग जन प्राधिकरण हैं । यदि आर टी आई आवेदन के विरुद्ध कोई अपील है तो उसे सीधे बीएसएनएल/एमटीएनएल को भेजें ।

...ता के अधिकार पर आधारित
मासिक पत्रिका
# खबरपालिका
RNI No. : BIHHIN/2008/24605
180, A-B, Patliputra Colony, Patna-800013, email : khabarpalika@gmail.com, khabar@khabarpalika.com

Date : 8/9/16

Office of Mos (Comm.) (IC) 206062 27/9 Sanchar Bhawan

RTI

DS(RTI), DoT

सेवा में,

लोक सूचनाधिकारी
दूरसंचार मंत्री का कार्यालय,
नई दिल्ली।

विषय : सूचनाधिकार 2005 अधिनियम के तहत जानकारी उपलब्ध कराने के सन्दर्भ में।

महाशय,

सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिसके लिए नियमानुसार 10 मात्र का भारतीय पोस्टल आर्डर संलग्न कर रहा हूँ जिसका न0-96F 139478 है ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| आपके विभाग में विभिन्न पदों पर अध्यक्ष, सदस्य आदि को नामित करने के लिए क्या -क्या अर्हतायें होती हैं उसका ब्यौरा तथा विभाग में नामित अध्यक्ष एवं सदस्यों की सूची के साथ साथ उनको प्राप्त सुविधाओं का पूर्ण विवरण एवं सुविधाओं पर आने वाले खर्च का ब्यौरा उपलब्ध करायें। | देश में कहाँ-कहाँ पर आपके विभाग के गेस्ट हाउस हैं तथा दिनांक 31 दिसम्बर 2000 से 31 अगस्त 2016 तक एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक किस-किस अधिकारी या उनके रिश्तेदारों, मित्रों आदि ने प्रवास किया है उसका विवरण उपलब्ध करायें। | गेस्ट हाउस वार खर्च का ब्यौरा के साथ-साथ गेस्ट हाउस में कार्यरत कर्मचारियों का पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें, जिसके अन्तंगत यह बतलाने की कृपा करें कि 5 वर्षो से अधिक किन-किन कर्मचारियों का कार्यकाल एक ही गेस्ट हाउस में रहा है। | गेस्ट हाउस होने के बावजूद भी उन अधिकारियों के नाम एवं पद का ब्यौरा उपलब्ध करायें जिन्होंने सरकारी खर्च पर होटल में प्रवास किया हो तथा होटल खर्च का अनुमोदन विभाग के इस अधिकारी के द्वारा किया गया है। |

आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी सूचना अधिकार पर आधारित मासिक पत्रिका 'खबर पालिका' की समाचार सामाग्री होगी। आपके द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी हमें ई-मेल khabarpalika@gmail.com या सी०डी० में उपलब्ध कराया जा सकता है, इस कार्य में आने वाले खर्च का भुगतान आपके मांग-पत्र पर कर दिया जायेगा।

आवेदक

संजय कुमार शुक्ला

डा० संजय कुमार शुक्ला
प्रबंध सम्पादक
180, ए० बी० पटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना-13

All CPIOs of BSNL/MTNL

306-दि/2016-आरटीआई
29/9/2016

सं.16-14/2016-Restg.

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

दिनांकः 07 अक्टूबर, 2016

सेवा में

डॉ. संजय कुमार शुकला,
प्रबंध संपादक, 180,
ए.बी. पाटलिपुत्रा कॉलोनी,
पटना, बिहार-13

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत डॉ. संजय कुमार शुकला के दिनांक 08.09.2016 के आवेदन (इस कार्यालय को दिनांक 03.10.2016 को प्राप्त) के संदर्भ में सूचना प्रदान करना।

कृपया अपने उपरोक्त दिनांक 08.09.2016 के आर टी आई आवेदन का संदर्भ लें। आपके द्वारा मांगी गयी सूचनाओं में से प्रथम बिन्दु पर अंकित सूचना (नामित सदस्य की अर्हतायें व उसका ब्यौरा एवं सुविधायें) का संबंध निदेशक (पुनर्गठन) एवं सी.पी.आई.ओ., दूरसंचार विभाग से है, जिसका विवरण संलग्न अधिसूचना सं.10-10/2015-Restg. एवं ट्राई ऐक्ट, 1997 (link 'http://www.dot.gov.in/act-rules-content/2426' पर उपलब्ध) में उपलब्ध है।

2. शेष सूचना हेतु, आपका आर टी आई आवेदन, आर टी आई अधिनियम के सेक्शन 6(3) के अंतर्गत ट्राई (TRAI) व टी.डी.एस.ए.टी.(TDSAT) को अग्रेषित किया जा रहा है।

3. अगर आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो श्री अमित यादव, संयुक्त सचिव (प्रशासन) एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, दूरसंचार विभाग के समक्ष अपील कर सकते हैं।

आपका,

संलग्नकः उपरोक्त

नवीन

(नवीन कुमार)
निदेशक एवं सी.पी.आई.ओ.
दूरसंचार विभाग
दूरभाषः 23036428

प्रतिलिपिः (1) सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एवं

(2) सलाहकार, टी.डी.एस.ए.टी. - इस अनुरोध के साथ के वे अपने-अपने विभाग/कार्यालय से संबंधित सूचना सीधे आवेदक को प्रदान करें.

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड -3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 10 फरवरी,2016

अधिसूचना

सा.का. नि.....(अ).– केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 5 की उपधारा (6क) के साथ पठित धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशकालिक सदस्यों के भत्ते) नियम 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् ;-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशकालिक सदस्यों के भत्ते) संशोधन नियम, 2015 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशकालिक सदस्यों के भत्ते) नियम, 2000 में, –

   (क) नियम 3 में, –

   (i) अक्षरों, अंकों, कोष्ठकों और शब्दों "2000 रुपए(दो हजार रुपए केवल)" के स्थान पर "10,000 रुपए (दस हजार रुपए केवल)" अक्षर, अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

   (ii) पहले परन्तुक में, अक्षरों और अंकों "26,000/-रुपए" के स्थान पर "60,000/-रुपए (साठ हजार रुपए केवल)" अक्षर, अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

   (ख) नियम 4 में, अक्षरों और अंकों "500/-रुपए" के स्थान पर "2000/- रुपए (दो हजार रुपए केवल)" अक्षर, अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

अमित यादव
[फा. सं. 10-10/2015- आर इ एस टी जी]
अमित यादव
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में सा.का.नि.संख्यांक 666 (अ), तारीख 18 अगस्त, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY ]**
**GOVERNMENT OF INDIA**
**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY**
**(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)**

New Delhi, the 10th Feb. , 2016

**Notification**

G.S.R..... (E). — In exercise of powers conferred by clause (aa) of sub-section (2) of section 35 read with sub-section (6A) of section 5 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Telecom Regulatory Authority of India (Allowances to part-time members) Rules , 2000, namely;-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called Telecom Regulatory Authority of India (Allowances to part-time members) Amendment Rules, 2015.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Telecom Regulatory Authority of India(Allowances to part-time members) Rules, 2000,—

   (a) in rule 3,—

   (i) for letters, figures, brackets and words "Rs. 2000/-(two thousand rupees only)", the letters, figures, brackets and words " Rs. 10,000/- (rupees ten thousand only)" shall be substituted;

   (ii) in the first proviso, for letters and figures "Rs.26000/-" the letters, figures, brackets and words "Rs. 60,000/-(rupees sixty thousand only)" shall be substituted;

   (b) in rule 4, for letters and figures " Rs.500/-", the letters, figures, brackets and words " Rs. 2000/-(rupees two thousand only)" shall be substituted.

(F.No. 10-10/2015-Restg.)
Amit Yadav,
Joint Secretary to the Government of India

Note-The principal rules were published in the Gazette of India,